

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA
(EXTRAORDINARY)
PART – III, SECTION 4

F. No.ER-236.6.15/ERCAPP2839/D.El.Ed./2017/ 52195

Date: 08.04.2017

ORDER

WHEREAS, in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993, Lok Shiksha Samiti, Bihar, Plot no.-623 (B), St/Rd-NH-28, Vill-Kalambag Chowk, Po-Ramna, Tehsil/Taluka/Town/City-Muzaffarpur, Dist-Muzaffarpur, Bihar-842002 has applied for grant of recognition/permission to **Bharti Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Plot no.-347, St no.-NH-28, Vill-Sadatpur, Po-Kalwari, Tehsil/Taluka-Kanti, Town/City-Muzaffarpur, Dist-Muzaffarpur, Bihar-843108 (Code No.- ERCAPP2839)** for **D.El.Ed. programme** online on **29.05.2015** for two year duration and hard copy received by Eastern Regional Committee of NCTE on **12.06.2015**.

2. **AND WHEREAS**, on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit submitted and the report received from VT and videography, and the certificates received from the affiliating body, the Committee is satisfied that the applicant fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the said teacher education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, financial resources, etc., for running the programme.

3. **NOW THEREFORE**, in exercise of the powers vested under Section 15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Eastern Regional Committee, NCTE hereby grants recognition/permission to **Bharti Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Plot no.-347, St no.-NH-28, Vill-Sadatpur, Po-Kalwari, Tehsil/Taluka-Kanti, Town/City-Muzaffarpur, Dist-Muzaffarpur, Bihar-843108** for conducting **D.El.Ed. programme** of two years duration with an intake of **100 (two basic units)** from the academic session **2017-2018** under Clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfillment of the following conditions:-

- I. The Endowment fund of Rs. 5 lakhs and Reserve fund of Rs. 7 lakhs kept in joint account with Regional Director of NCTE should be maintained perpetually. Loan raising against or mortgaging of FDRs shall not be done.
- II. The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

Contd...2

III. The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations 2014.

IV. The institution shall ensure that the required number of academic staff duly approved by affiliating body for conducting the course should always remain in position.

4. Further, the recognition/permission is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University / Body, the State Government etc, as applicable.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. The institution shall maintain its website with hyperlink to the Council and the Eastern Regional Committee, covering, inter-alia, the details of the institution, its location, name of the programme applied for with intake; availability of physical infrastructure, such as land, building, office, classrooms and other facilities or amenities; instructional facilities, such as laboratory and library and the particulars of their proposed teaching faculty and non-teaching staff with photographs, for information of all concerned. The information with regard to the following shall also be made available on the website, namely:-

- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution;
- b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph;
- c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter;
- d) Names of Students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
- e) Fee charged from students;
- f) Available infrastructural facilities;
- g) Facilities added during the last quarter;
- h) Number of books in the library, journals subscribed to, and additions, if any, in the last quarter;
- i) The affidavit with enclosure submitted along with application;
- j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- k) Any false or incomplete information on its website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

7. The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its official website.

//3//

8. The institution shall make available list of students admitted on its official website.
9. The Educational institution shall follow Uniform Accounting System as brought out by ICAI and accepted by MHRD.
10. If the institution contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition / permission by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order,


Regional Director

The Controller of Publications,
Department of Publications, (Government of India),
Ministry of Urban Development,
Civil Lines, New Delhi - 110054.

To

**The Principal/Correspondent,
Bharti Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya,
Plot no.-347, St no.-NH-28,
Vill-Sadatpur, Po-Kalwari,
Tehsil/Taluka-Kanti,
Town/City-Muzaffarpur,
Dist-Muzaffarpur, Bihar-843108**

Copy to:

1. The Secretary/ Correspondent, Lok Shiksha Samiti, Bihar, Plot no.-623 (B), St/Rd-NH-28, Vill-Kalambag Chowk, Po-Ramna, Tehsil/Taluka/Town/City-Muzaffarpur, Dist-Muzaffarpur, Bihar-842002.
2. The Commissioner-cum-Secretary, Primary, Secondary & Higher Education, Govt. of Bihar, New Secretariat, Vikas Bhawan, Patna, Bihar-800015.
3. The Secretary, Bihar School Examination Board, Fraser Road, Patna, Bihar - 800001.
4. The Director, Department of Primary Education, Govt. of Bihar, New Secretariat, Vikas Bhawan, Patna, Bihar-800015.
5. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi -110001.
6. The Under Secretary (CS) National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, 1, Bahadurshah Zafar, New Delhi- 110002.
7. Office order file / institution file.


Regional Director

पत्रांक : टी.टी.प्रे. 1445 / 2017
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

प्रेषक,
निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना-17

सेवा में,
प्राचार्य/प्राचार्या,
भारती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
सदातपुर, मुजफ्फरपुर।

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।
पटना, दिनांक 28/09 / 2017

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर उड़ीसा के ERCAPP2839, दिनांक 08.04.2017 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेक्ष्य में एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त/सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी :-

शर्त :-

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन-2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन-2014 के परिशिष्ट-2 अनुच्छेद-2.2 (ac) में निहित प्रावधानों; यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतित की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
3. महाविद्यालय को नामांकन एवं पाठक्रम के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित कंडिका 91.1, 91.2 के साथ कंडिका-2 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्धारित मापदंडों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी।



8. नियुक्त किये-गये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
 9. संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।
 10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।
 11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
 12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
 13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
 14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।
 15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
 16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से संचालित बी.एड. कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एल.एड. कोर्स की सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
 17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2017-19 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1445, पटना, दिनांक 28/09/2017
 प्रतिलिपि : क्षेत्रीय निदेशक ERC, NCIE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1445, पटना, दिनांक 28/09/2017
 प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17